-प्रेस नोट-

जनपद मीरजापुर   दिनांक 30.08.2020

थाना मड़िहान पुलिस द्वारा दुष्कर्मी प्रेमी व उसके साथी को किया गया गिरफ्तार

थाना मड़िहान निवासिनी वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया था, कि उसकी लड़की जिसकी उम्र 17 वर्ष है, जो अपने ही गांव के लड़के से प्यार करती थी दोनों में शारीरिक संबंध हो गया, जिससे उसकी लड़की गर्भवती हो थी, पीडिता लड़की शादी करना चाहती थी। परंतु दिनांक 29.8.2020 को आरोपी प्रेमी अभियुक्त द्वारा पीडिता लड़की को गांव के बाहर राजगढ़ पुलिया पर बुलाया था और वहां से एक अन्य साथी अभियुक्त के साथ पीडिता लड़की को घुमाने के बहाने सेमरी पहाड़ के पास ले गए, जहां पर पीडिता लड़की को गर्भ गिराने के लिए जोर देने लगा, पीडिता लड़की के मना कर देने पर आरोपी प्रेमी अभियुक्त और उसका साथी द्वारा दुपट्टे से पीडिता लड़की का गला दबाने लगे जब पीडिता लड़की बेहोश हो गई तो पत्थर से सर व चेहरे पर चोट पहुंचाकर भाग गए। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जहा से पीड़िता को इलाज हेतु राजगढ़ पीएचसी ले जाया गया जहां से परिवारीजन द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद पाडिता को मंडलीय अस्पताल मिर्जापुर में भर्ती कराया गया है। जिसके संबंध में थाना मड़िहान पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, उक्त अभियोग में वाछिंत दोनो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में बड़ी कार्यवाही करते हुए विवेचक हितेन्द्र कृष्ण क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन की हुकूम तहरीरी के आधार पर उ0नि0 संतोष कुमार सिंह चौकी प्रभारी राजगढ़ थाना मड़िहान मयहमराह का0शैलेश यादव,का0 सतीश चौधरी द्वारा नामजद अभियुक्तगण 1-धीरज 2-अनिल निवासीगण थाना क्षेत्र मड़िहान को आज दिनांक 30.08.2020 को दरबान पुलिया से समय लगभग 11.00 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।और अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है।